प्रेस विज्ञप्ति

थाना छैगांवमाखन, जिला– खण्डवा दिनांक 03.02.2025

हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी छैगांवमाखन पुलिस की पुलिस की गिरफ्त में

खंडवा, 03 फरवरी 2025

दिनांक 02.02.2025 को फरियादी चेतराम गुर्जर ने रिपोर्ट किया कि आरोपी जीवन पिता सेवकराम जाति नहाल निवासी ग्राम सिर्रा ने बैलगाडी मे से लकडी खाली करने की बात को लेकर रामकृष्ण गुर्जर निवासी ग्राम सिर्रा को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से सिर पर मार दिया तथा दाहिने पैर के पंजे को काटकर अलग कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट से थाना छैगांवमाखन पर अप.क्र. 42/25 धारा–109 (1) बीएनएस 2023 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) खंडवा व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय खंडवा के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान दिनांक 02.02.2025 को आरोपी जीवन पिता सेवकराम जाति नहाल उम्र 45 साल निवासी ग्राम सिर्रा को गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त कुल्हाडी विधिवत जप्त की गयी। आरोपी को दिनांक 03.02.25 को न्यायालय खंडवा पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम धार्वे, सउनि नंदराम वासुरे, सउनि जितेंद्र गोलकर, प्र.आर. 68 धर्मेंद्र वर्मा, प्रआर 299 सुनील सिंह सेंगर, आर. 750 अभिषेक धार्मिक, आर. 745 रोहित रघुवंशी की सराहनीय भूमिका रही है।